CMYK

Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

▫ वर्ष- 27 ▫ अंक- 238 ▫ रायपुर, शुक्रवार 20 सितम्बर 2024 ▫ पृष्ठ-8 ▫ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • बिलासपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

विकास प्राधिकरणों में उपाध्यक्षों की हुई नियुक्ति

रायपुर, 20 सितंबर (हाईवे चैनल)। लंबे समय से इंतजार के बाद आखिर वह दिन आ ही गया, जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे. बस्तर विकास प्राधिकरण, सरगुजा विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण के साथ अनुसूचित विकास प्राधिकरण और पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण में उपाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है.

जारी आदेश के मुताबिक, विधायक गोमती साय को सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, तो वहीं बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष विधायक लता उसेंडी को नियुक्त किया गया है. मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष मरवाही के विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची बनाए गए हैं. अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण में विधायक गुरु खुशवंत साहेब को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चंद्राकर को दी गई है.

विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक हुई

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। इसके लिए मुख्य सचिव ने सभी विभागों से प्रस्ताव मंगवा लिए हैं। इससे पहले विष्णुदेव कैबिनेट की बैठक 7 अगस्त को हुई थी। इसमें गुरुघासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को लेकर निर्णय लिया गया था। यह बैठक करीब एक माह बाद हो रही है, जिसमें साय सरकार के पहले राज्योत्सव आयोजन, धान खरीदी की शुरुआत, नई औद्योगिक नीति, और नक्सलवाद खत्म करने के लिए पुनर्वास नीति समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है।

पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक को किया गया निलंबित

जांच में प्रथम दृष्टया लापरवाही पाए जाने पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर को किया गया निलंबित

रायपुर, 20 सितंबर (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कलेक्टर कान्फ्रेंस में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस को लेकर सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए थे। मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार को लेकर कड़ाई जमीनी स्तर पर भी उतनी ही सख्त नजर आ रही है। इसकी बानगी एक बार फिर सरकार की त्वरित कार्रवाई से दिखती है। बीते दिनों छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा छापी गई शैक्षणिक सत्र 2024-25 की नई किताबों को कबाड़ में बेचे जाने का मामला सामने आया था। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सिलयारी स्थित रियल बोर्ड पेपर मिल में छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा छापी गई वर्ष 2024-25 सत्र की नई किताबें के कबाड़ में बेचे जाने की घटना के प्रकाश में आने पर तत्काल गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु पिल्ले को इस घटना की जांच के निर्देश दिए थे। जांच के उपरांत छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर श्री प्रेम प्रकाश शर्मा की प्रथम दृष्टया लापरवाही परिलक्षित होने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।कलेक्टर एसपी कांफ्रेंस में कड़े तेवर दिखाने के बाद मुख्यमंत्री ने निलंबन की इस कार्यवाही से यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासनिक लापरवाही उन्हें बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम का मामला सामने आने पर इस घटना की जाँच का दायित्व मुख्य सचिव के पश्चात सबसे वरिष्ठ अधिकारी को देना यह स्पष्ट करता है कि इस राज्य में अब प्रशासनिक ढिलाई के दिन बीत चुके हैं । यदि किसी ने लापरवाही या भ्रष्टाचार किया, तो उस पर कार्यवाही अवश्य होगी। उल्लेखनीय है कि बीते दिनों सीएम के रौद्र रूप कई प्रशासनिक निर्णयों में दृष्टिगोचर हुए हैं। सीएम शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों में बिलकुल भी लापरवाही नहीं चाहते। मुख्यमंत्री श्री साय ने शासकीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता बरतने वाले लापरवाह अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कारवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यह सुशासन की सरकार है और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा अपने शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी तथा लापरवाह अधिकारियों पर तत्काल कड़ी कारवाई सुनिश्चित की जाएगी।

ब्रेकिंग न्यूज

सिफारिश के बाद भी हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति क्यों नहीं हुई : अटॉर्नी जनरल

नई दिल्ली, 20 सितम्बर (न्यूज चैनल)। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उन नामों के संबंध में जानकारी मांगी है जिनके नामों की कॉलेजियम ने उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीश पदों के लिए सिफारिशें की हैं और जिन पर विचार नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से उन नामों की सूची बनाने को कहा जिनके नाम की सिफारिशें की गईं, उनसे यह बताने को कहा गया कि इन नामों पर मंजूरी क्यों एवं किस स्तर पर लंबित है। जजमेंट के अनुसार कॉलेजियम द्वारा बार-बार की गई सिफारिश केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी है। हालांकि, कई बार दोहराए गए नाम केंद्र के पास महीनों से लंबित हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में देरी को लेकर झारखंड राज्य द्वारा केंद्र के खिलाफ दायर अवमानना याचिका भी आज सूचीबद्ध की गई थी। एजी आर वेंकटरमणि ने वर्चुअल रूप से पेश होकर, यह कहते हुए स्थगन का अनुरोध किया कि वह अस्वस्थ हैं। पीठ ने मामले को एक सप्ताह के लिए स्थगित करने पर सहमति जताते हुए झारखंड की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा कि इस बीच मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्तियां होने की संभावना है। सीजेआई ने कहा कि कुछ नियुक्तियां पाइपलाइन में हैं, हमें उम्मीद है कि वे नियुक्तियां जल्द ही होंगी।

अमेरिकी क्रिप्टोकरेंसी एक्सआरपी का दिखने लगा विज्ञापन

नई दिल्ली, 20 सितम्बर (न्यूज चैनल)। सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल शुक्रवार को हैक हो गया और उसपर अमेरिकी कंपनी रिपल लैब्स निर्मित क्रिप्टोकरंसी के एड वाला वीडियो प्रसारित होने लगा। हालांकि वीडियो पर क्लिक करने पर उसपर कुछ दिखाई नहीं दिया। वीडियो के नीचे ब्रैड गार्लिंगहाउस-रिपल रेसपोंड्स टू द एसईसी 2 बिलियन डॉलर फाइन लिखा था। एक्सआरपी प्राइज प्रेडिक्शन।'' शीर्ष न्यायालय संविधान पीठों के समक्ष सूचीबद्ध मामलों और जनहित से जुड़े मामलों की सुनवाई को स्ट्रीम करने के लिए यूट्यूब का उपयोग कर रहा है।

चूहा- सुनती हो, इस्तीफा देने के बाद अब अरविन्द जंतर-मंतर में 'जनता की अदालत' लगाएंगे।

चुहिया- हां जी, लेकिन यहां जमानत का सिस्टम नहीं है, ध्यान रखें।

'मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना' में भ्रष्टाचारः 3 एसडीओ और 8 सब इंजीनियर्स को कारण बताओ नोटिस

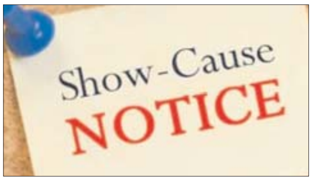

मुंगेली, 20 सितंबर (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में 'मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना' के अंतर्गत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है. मुंगेली जिला कलेक्टर के निर्देश पर गठित टीम ने जांच कर इस बात का खुलासा किया है. जिसके बाद 3 एसडीओ और 8 सब इंजीनियर को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है. वहीं 1 ठेकेदार से रिकव्हरी के लिए पत्र जारी किया गया है.

बता दें, 'मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना' में हुए कार्यों की जांच में मुंगेली जिले के 24 स्कूलों में निर्माण कार्य असन्तोष जनक पाए गए. वहीं प्रदेशभर के अलग-अलग जिलों से मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना में भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं. इन मामलों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सख्ती से जांच और कार्रावाई के निर्देश दिये हैं, जिसका असर ब जिलों ने देखने को मिल रहा है. कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए इस भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद प्रशासन जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है. मुंगेली कलेक्टर राहुल देव ने बताया कि जांच के दौरान 24 स्कूलों में योजना के अंतर्गत गड़बड़ियां पाई गई हैं. इस मामले में सभी जिम्मेदारों के खिलाफ नोटिस जारी की गई है और भ्रष्टाचार करने वालों से लाखों रुपये की रिकवरी भी की जाएगी. सीएम साय के स्पष्ट निर्देश हैं कि मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जिले में गंभीरता पूर्वक अनुशासन लाने के लिए कार्य भी किया गया है, लेकिन बावजूद इसके जिन लोगों ने गलतियां की हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.

हथियार छोड़ें माओवादी : अमित शाह

नई दिल्ली, 20 सितम्बर (न्यूज चैनल)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दावा किया कि सरकार ने मार्च 2026 से पहले देश से नक्सलवाद और नक्सलवाद के विचार को उखाड़ फेंकने का फैसला किया है। शाह ने नई दिल्ली में अपने आवास पर छत्तीसगढ़ के लगभग 55 नक्सली हिंसा पीड़ितों के साथ बातचीत करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि बस्तर के 4 जिलों को छोड़कर पूरे देश में नक्सलवाद को खत्म करने में केंद्र सरकार सफल रही है। शाह ने नक्सलियों से हिंसा छोड़ने, हथियार डालने और आत्मसमर्पण करने की भी अपील की।

गृह मंत्री ने कहा कि अगर नक्सली हिंसा छोड़ने की उनकी अपील नहीं सुनेंगे तो सरकार जल्द ही उनके खिलाफ चौतरफा अभियान चलाएगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हम नक्सलवाद को ख़त्म करेंगे। मैं (नक्सलियों) से अपील करता हूं कि वे कानून के सामने आत्मसमर्पण कर दें, अपने हथियार छोड़ दें। उन्होंने कहा कि उत्तर-पूर्व और कश्मीर में कई जगहों पर कई लोग हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आपका भी स्वागत है लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इसके खिलाफ अभियान चलाएंगे और इसमें सफलता भी मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों ने माओवादियों के खिलाफ अपने अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है और यह समस्या अब छत्तीसगढ़ के सिर्फ चार जिलों तक सीमित रह गई है। उन्होंने कहा कि माओवादियों ने एक बार पशुपतिनाथ (नेपाल) से तिरुपति (आंध्र प्रदेश) तक गलियारा बनाने की साजिश रची थी, लेकिन मोदी सरकार ने उसे नाकाम कर दिया। शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय जल्द राज्य सरकार के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के नक्सल हिंसा प्रभावित लोगों के लिए कल्याणकारी योजना तैयार करेगा।

चाचा-भतीजे को बस ने रौंदा, एक की मौत

बिलासपुर, 20 सितम्बर (हाईवे चैनल)। बिलासपुर में तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, उसका चाचा गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला पचपेड़ी थाना क्षेत्र का है। इधर, घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया, जिससे करीब एक घंटे तक यातायात बाधित रहा। पुलिस ने सड़क जाम करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

बलौदाबाजार जिले के धाराशिव निवासी विश्राम पटेल अपने भतीजे लिंकेश्वर पटेल को लेकर बीते बुधवार को पचपेड़ी क्षेत्र के ग्राम चिस्दा आया था। यहां पर रिश्तेदारों से मिलने के बाद चाचा-भतीजा बाइक पर अपने गांव लौट रहे थे। दोनों चाचा- भतीजा जोंधरा के संजय नगर मोड़ के पास पहुंचे थे। इसी दौरान सामने से आ रही बस के चालक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में चाचा-भतीजा सड़क पर गिर गए। बताया जा रहा है कि सड़क पर गिरकर लिंकेश्वर बस के पहिए के नीचे आ गया, जिससे उसके सिर और कमर में गंभीर चोटे आई। इस हादसे में लिंकेश्वर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, विश्राम को गंभीर चोटें आई। जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जनता की अदालत में केजरीवाल को मिलेगा इंसाफ ?

आतिशी के सीएम बनने के अगले दिन ये काम करेंगे आप नेता

नई दिल्ली, 20 सितम्बर (न्यूज चैनल)। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल 22 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी के जंतर-मंतर पर जनता की अदालत करेंगे। इस दौरान वह लोगों को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली के निवर्तमान मुख्यमंत्री उच्चतम न्यायालय के जमानत देने के आदेश के बाद पिछले सप्ताह तिहाड़ जेल से बाहर आये। आप नेता गोपाल राय ने कहा कि पिछले 2 साल में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की सभी साजिशों को नाकाम कर दिया और अब आमने-सामने की लड़ाई है। अगर अरविंद केजरीवाल को भारी बहुमत से मुख्यमंत्री बनाया जाए तो देश का सम्मान बढ़ेगा और साजिशकर्ताओं के सम्मान को ठेस पहुंचेगी। इसलिए सभी पदाधिकारियों को अरविंद केजरीवाल बनना होगा।

गोपाल राय ने आगे कहा कि 22 सितंबर को जंतर-मंतर पर जनता की अदालत लगेगी, जिसे अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे। आप अपने बूथ-स्तरीय संगठन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों में एक भयंकर लड़ाई के लिए तैयारी कर रही है। गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में आप के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) संदीप पाठक, राय ने मंडल प्रभारियों को एकजुट किया और हर बूथ को जीतने का संकल्प लिया।

सुप्रीम कोर्ट ने की तेलंगाना सीएम की याचिका खारिज

कहा- कोर्ट के आदेशों के बारे में टिप्पणी करते समय सावधानी बरतें

नई दिल्ली, 20 सितम्बर (न्यूज चैनल)। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और अन्य की कथित संलिप्तता वाले 'वोट के बदले नकदी' मामले की सुनवाई को तेलंगाना से भोपाल स्थानांतरित करने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को अभियोजन के कामकाज में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एसीबी के महानिदेशक 'वोट के बदले नकदी' मामले के अभियोजन के संबंध में तेलंगाना के मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं करेंगे।

रेवंत रेड्डी ने कोर्ट से कहा कि वर्ष 2015 के 'वोट के बदले नकदी' मामले को स्थानांतरित करने के अनुरोध वाली याचिका राजनीतिक मकसद से दायर की गई। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने निर्देश दिया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के महानिदेशक मामले के अभियोजन के संबंध में तेलंगाना के मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं करेंगे। रेड्डी की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि मामले की सुनवाई स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका राजनीतिक मकसद से दायर की गई है। शीर्ष अदालत ने इससे पहले कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामलों में प्रतिद्वंद्वी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता को शीर्ष अदालत द्वारा जमानत दिए जाने पर रेड्डी की टिप्पणियों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह उम्मीद की जाती है कि संविधान के सभी तीनों अंग एक-दूसरे के कामकाज के प्रति परस्पर सम्मान दिखाएंगे। पीठ ने रेड्डी द्वारा दायर हलफनामे पर गौर किया, जिसमें उन्होंने अदालत से माफी मांगी है और कहा कि वह इस मुद्दे पर आगे नहीं बढ़ना चाहती।

मुस्लिम बहुल इलाके को हाईकोर्ट जज ने मिनी पाकिस्तान बताया, सुप्रीम कोर्ट ने खूब सुनाया

रिपोर्ट सौंपने को कहा

नई दिल्ली, 20 सितम्बर (न्यूज चैनल)। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा कार्यवाही के दौरान महिला वकील के खिलाफ की गई विवादास्पद टिप्पणियों का संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने महिला वकील के खिलाफ न्यायाधीश की टिप्पणियों पर कर्नाटक उच्च न्यायालय से रिपोर्ट मांगी, याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी। वायरल वीडियो में न्यायमूर्ति वेदव्यासाचार्य श्रीशानंद को बेंगलुरु के मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पाकिस्तान कहते हुए सुना जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने न्यायिक शिष्टाचार बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।

हाल ही में एक मकान मालिक-किराएदार विवाद की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति श्रीशानंद ने बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पाकिस्तान कहने के साथ ही महिला वकील को लेकर स्त्री विरोधी टिप्पणी भी की थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ में न्यायमूर्ति एस खन्ना, बीआर गवई, एस कांत और एच रॉय शामिल थे। दालती कार्यवाही के दौरान संवैधानिक अदालत के न्यायाधीशों की टिप्पणियों के संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। बेंच ने कहा कि हमारा ध्यान न्यायिक सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस वी श्रीशानंद द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों की ओर आकर्षित हुआ है। हमने एजी और एसजी से सलाह मांगी है। हमने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने जज की टिप्पणी पर संज्ञान लेते हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से कहा, हम कुछ बुनियादी दिशानिर्देश तय कर सकते हैं।

CMYK